

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प. मोलीसर बड़ा

पीठासीन अधिकारी :- राहुल सेनी R.A.S.

उनवान

अशोक कुमार झाड़ि बनाम राणस्वाम सरकार

दावा बाबत काम दुकसी 11/588

मुकदमा नम्बर :- 107/2021

निर्णय दिनांक :- 18-11-2021

वादी की ओर से सुनय की व प्रतिवादी की ओर से पेशकार राण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18-11-21 को राहुल सेनी R.A.S. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

शिकायती शक्ति पत्र क्रमांक 380, 382 खाता सं. 315 रोही ग्राम कीनसर में अशोक के स्वाम पर अशोक कुमार व पप्पु देवी के स्वाम पर अंबरी देवी अशोक के अतिरिक्त शिकायती लक्ष्मीदेवी न्यूरु उक्ताकुसार राणस्वाम सरकार में अग्रिम इरादा करने के निर्देश दिये जाते हैं।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18-11-21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राहुल सेनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चूरु

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़



श.स. 1693
24-11-21